महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151-2210076 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail:
academicmgsu@gmail.com

क्रमांक : एफ.07(112–VI)/मगंसिंविबी/शैक्ष./2015/9675-9725 दिनांक : 15.5.2015

कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव विद्या परिषद
महाराजा गंगा सिंह वि० वि० बीकानेर

विषय : विद्या परिषद् की 14 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 02.05.2015 को आयोजित विद्या परिषद् की 14 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाया जा रहा है। उक्त कार्यवाही विवरण के संबंध में यदि कोई आक्षेप हो तो 07 दिवस में प्रस्तुत करें ताकि उस पर समय रहते समुचित निर्णय लिया जा सके।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार

कुलसचिव
दिनांक :

क्रमांक : एफ.07(112–VI)/मगंसिंविबी/शैक्ष./2015/
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–.

1 निजी सचिव–कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
2 परीक्षा नियन्त्रक, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर।
3 समस्त विभागाध्यक्ष, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर।
4 सहायक कुलसचिव, (परीक्षा/गोपनीय/नामांकन/शैक्षणिक अनुभाग) महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर।
5 समस्त अनुभाग अधिकारी, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय,बीकानेर।
6 रक्षित पत्रावली।

(डॉ० बिठ्ठल दास बिस्सा)
उप कुलसचिव (शैक्ष.)

E:\S LU\ SL(new)\doex868

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय

MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15, जैसलमेर रोड, बीकानेर-334004 (राजस्थान) भारत
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner-334004 (Rajasthan) INDIA
दूरभाष/Phone: 0151.2212044 फैक्स/Fax: 2212042 ई-मेल/E-mail:
Registrar@mgsubikaner.ac.in

पं. 07( )मंगसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/ दिनांक

विद्या परिषद की 14वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की 14वीं बैठक दिनांक 02.05.2015 को प्रात: 11:00 बजे बैठक कक्ष, प्रशासनिक भवन में माननीय कुलपति प्रो. चन्द्रकला पाडिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. एम.एम. सक्सेना	:	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
2.	प्रो. एस.के. अग्रवाल	:	अधिष्ठाता, कला संकाय
3.	डॉ आई.आर. जांगिड़	:	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
4.	डॉ अनिल कौशिक	:	अधिष्ठाता, विधि संकाय
5.	डॉ कौशल पारीक	:	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान
6.	डॉ सुरेन्द्र सहारण	:	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
7.	डॉ दिग्विजय सिंह	:	महामहिम राज्यपाल एवं राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
8.	डॉ सत्यनारायण शर्मा	:	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
9.	डॉ भुवनेश गुप्ता	:	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
10.	डॉ मोईनुदीन	:	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
11.	डॉ आशा गोस्वामी	:	सदस्य
12.	डॉ एच.के. पांडे	:	सदस्य
13.	श्रीमती ज्योति लखाणी	:	सदस्य
14.	डॉ गौतम कुमार मेघवंशी	:	सदस्य
15.	डॉ रंजन सक्सेना	:	सदस्य
16.	डॉ उमाकान्त गुप्त	:	सदस्य
17.	डॉ नन्दिता सिंघवी	:	सदस्य
18.	डॉ बजरंग सिंह राठौड़	:	सदस्य
19.	डॉ नारायण सिंह राव	:	सदस्य
20.	डॉ बेला भनोत	:	सदस्य
21.	डॉ एन.आर. कस्वा	:	सदस्य

22.	डॉ प्रकाश अमरावत	:	सदस्य
23.	डॉ अभिलाषा आल्हा	:	सदस्य
24.	डॉ वी.एन. सिंह	:	सदस्य
25.	डॉ सुमित्रा चारण	:	सदस्य
26.	डॉ धनवन्तरी विश्नोई	:	सदस्य
27.	डॉ देवी शंकर	:	सदस्य
28.	डॉ यशवन्त गहलोत	:	सदस्य
29.	डॉ एस.डी. दवे	:	सदस्य
30.	डॉ एस.आर.एस. झांझड़िया	:	सदस्य
31.	डॉ पुरुषोतम स्वामी	:	सदस्य
32.	डॉ ऋषभ जैन	:	सदस्य
33.	श्री विश्राम मीणा	:	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में माननीय अध्यक्ष एवं कुलपति महोदया द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। विशेषकर विद्या परिषद में महामहिम राज्यपाल द्वारा नव-मनोनीत माननीय सदस्य डॉ दिग्विजय सिंह का हार्दिक स्वागत किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से बैठक की कार्यवाही बिन्दुवार प्रारंभ हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/01

विद्या परिषद की 13 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रस्ताव :-

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 13 वी बैठक दिनांक 17-06-2014 का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के सदस्यों को पूर्व में भेजा जा चुका हैं। विद्या परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदन हेतु प्रबन्ध मण्डल की विशेष बैठक दिनांक 05-07-2014 में प्रस्तुत किया गया। प्रबन्ध मण्डल ने निर्णय लिया कि विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण का विद्या परिषद से अनुमोदन करवाकर प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जावे। किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय विभागों में सेमेटर प्रणाली सत्र 2014-15 से लागू करने एवं सत्र 2014-15 के नये पाठ्यक्रम लागू करने के कारण माननीय कुलपति महोदया द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अनुच्छेद 12(6) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जा चुका है। सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद की 13वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 के कार्यवाही विवरण के संबंध में सूचनार्थ प्रस्तुत करने पर माननीय सदस्य डॉ देवीशंकर ने अनुरोध किया कि सदन को अवगत कराया जावें कि किन परिस्थितियों में कुलपति महोदया द्वारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 की धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर विद्या परिषद के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्य

प्रो. एस.के. अग्रवाल व डॉ दिग्विजय सिंह ने भी इस संबंध में जानकारी चाही। माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदस्यों को अवगत कराया कि शैक्षणिक सत्र 2014-15 में प्रारंभ होने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभागों मे सत्र 2014-15 से सेमेस्टर प्रणाली लागू करना आवश्यक होने के कारण धारा 12(6) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद द्वारा कार्यवाही विवरण के अनुमोदन की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/02

विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 में लिये गये निर्णयों की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव :-

विद्या परिषद की 13वीं बैठक में लिये गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - पालना प्रतिवेदन

निर्णय : विद्या परिषद की 13वीं बैठक दिनांक 17.06.2014 में लिए गए निर्णयों की पालना रिपोर्ट का निम्नलिखित निर्णयों के साथ विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया यगा

1. विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर कैनेडियन स्टडीज की स्थापना हेतु सुझाव प्रस्तुत करने हेतु विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 में गठित समिति की संयोजक डॉ. कृष्णा राठौड़ (तोमर) के सेवानिवृत हो जाने के कारण उनके स्थान पर प्रो. एस.के. अग्रवाल को समिति का संयोजक मनोनीत किया गया तथा समिति में डॉ. दिव्या जोशी एवं डॉ. अम्बिका ढाका को सदस्य मनोनीत किया गया।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत छात्रों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के पश्चात उत्तरपुस्तिका जांच के सम्बन्ध में छात्रों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के निराकरण के लिए विद्या परिषद की 13 वीं बैठक में गठित समिति को राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराने हेतु शैक्षणिक अनुभाग को निर्देशित किया गया।
3. प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम तैयार करवाते समय शैक्षणिक अनुभाग द्वारा पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में अध्ययन मण्डल को आवश्यक निर्देश उपलब्ध करवाये जाने चाहिए। ताकि पाठ्यक्रम वर्षवार प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर में पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध में लागू किया जा सके।

विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार से बाहर नियुक्त समन्वयकों से परीक्षकों का पैनल प्राप्त किया जाना चाहिए। पैनल के आधार पर ही परीक्षकों से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्याकंन करवाया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता बनाई जा सके।

5. उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्याकंन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है तो सम्बन्धित परीक्षक को ***बहिष्कृत*** कर उनकी सूची विश्वविद्यालय वेबसाइट में दर्शानी चाहिए।
6. महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु संकाय/विषयवार निरीक्षक पैनल तैयार करवाया जाना चाहिए जिससे कि पैनल के आधार पर महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षक नियुक्त किये जा सके। इसके लिए अधिष्ठाताओं की बैठक आयोजित कर निरीक्षक की योग्यता एवं अनुभव का निर्धारण करवाया जाना चाहिए।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/03

अधिष्ठाता, कला, शिक्षा एवं विधि संकाय के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेशो के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 की धारा 9 (क) (VII) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F 07(460)/MGSU/Acad./ 2014 /9441-857 Dated 21-08-2014 के द्वारा डॉ. सुरेन्द्र कुमार सहारण को शिक्षा संकाय, विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 14716-14745 दिनांक 11-11-2014 के द्वारा प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल को कला संकाय एवं आदेश क्रमांक 4005-4022 दिनांक 03-03-2015 के द्वारा डॉ. अनिल कुमार कौशिक को विधि संकाय दो वर्ष की अवधि या आगामी आदेश जो भी पहले हो तक अधिष्ठाता नियुक्त किया गया। उक्त अधिष्ठाताओ की नियुक्ति विद्या परिषद् के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - कार्यालय आदेश

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता के रुप में डॉ सुरेन्द्र कुमार सहारण, कला संकाय के अधिष्ठाता के रुप में प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं विधि संकाय के अधिष्ठाता के रुप में डॉ अनिल कौशिक के मनोनयन आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में सभी सदस्यों ने तीनो अधिष्ठाताओं के मनोनयन का हार्दिक स्वागत किया। माननीय सदस्य प्रो. एस. के. अग्रवाल ने अधिष्ठाता मनोनयन आदेश में उल्लेखित " on usual terms and condition" को हटाने का सुझाव दिया। अध्यक्ष महोदया ने इस सम्बन्ध में परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/04

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु तैयार किये गये पाठ्यक्रमों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय अध्ययन मण्डलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु तैयार किये गये निम्नांकित पाठ्यक्रम विद्या परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये है। पाठ्यक्रमों के अनुमोदन से पूर्व विद्या परिषद द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. माननीय सदस्य डॉ दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि प्रस्तुत पाठ्यक्रमों को तिथि वार के स्थान पर संकाय वार अंकित किया जाये।
2. अध्ययन मण्डल की बैठक की सूचना 15 दिवस पूर्व दूरभाष/ई-मेल के माध्यम से माननीय सदस्यों को प्रेषित की जानी चाहिए जिससे अध्ययन मण्डलों की बैठक में अधिक से अधिक सदस्य उपस्थित हो सके। उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी दर्शानी चाहिए।
3. अध्ययन मण्डल का कोई भी माननीय सदस्य दो बार अध्ययन मण्डल की बैठक में उपस्थित नही होता है तो उनके स्थान पर अन्य सदस्य का मनोनयन किया जाना चाहिए।

4. अध्ययन मण्डल द्वारा कार्यवाही विवरण स्पष्ट एवं पूर्णरूप से लिखा जाना चाहिए । यदि अध्ययन मण्डल द्वारा किन्ही बिन्दुओं का पाठ्यक्रम में समावेश/विलोपित किया जाता है तो उक्त बिन्दुओं की महत्ता, उपयोगिता एवं कारण के सम्बन्ध में '' आंशिक संशोधन'' के स्थान पर पूर्ण उल्लेख किया जाना चाहिए।
5. किसी विषय के अध्ययन मण्डल द्वारा आगामी सत्र हेतु लागू किये जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है और विद्या परिषद की बैठक में उस विषय से सम्बन्धित संयोजक उपस्थित नही रहता है तो गत सत्र के अनुसार ही पाठ्यक्रम आगामी सत्र हेतु प्रभावी माना जावेगा।

उपरोक्त सुझावों का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त निर्णयों के उपरान्त सत्र 2015-16 हेतू निम्नानुसार अध्ययन मंडलो द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया -

क्र.स.	पाठ्यक्रम	निर्णय
1	चित्रकला	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
2	दर्शनशास्त्र	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3	इतिहास	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम के मिनट्स के संदर्भ में माननीय सदस्य डॉ देवी शंकर ने वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को इंगित करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृति न हों। अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4	अंग्रेजी	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
5	समाजशास्त्र	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
6	गृह विज्ञान	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
7	लोक प्रशासन	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
8	हिन्दी	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
9	विधि	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
10	संस्कृत	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
11	राजनीति विज्ञान	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में बिन्दु सं. 2 में उल्लेखित ''भारत के संविधान में मानव अधिकार'' के स्थान पर 'भारत के संविधान में मानव अधिकार दर्शन जोड़ते हुए पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
12	उर्दू	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
13	भारतीय संगीत	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
14	भूगोल	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
15.	अर्थशास्त्र	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
16.	कम्प्यूटर विज्ञान	अध्ययन मण्डल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। माननीय सदस्य प्रो. एस.के. अग्रवाल ने सुझाव दिया कि उक्त पाठ्यक्रम में Internet Semiotics बिन्दु को समावेशित किया जावे।

17.	पंजाबी	विद्या परिषद बैठक में विषय के संयोजक उपस्थित नही होने कारण सत्र 2014-15 में प्रभावी पाठ्यक्रम को ही सत्र 2015-16 के लिए लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
18.	मनोविज्ञान	विद्या परिषद बैठक में विषय के संयोजक उपस्थित नही होने कारण सत्र 2014-15 में प्रभावी पाठ्यक्रम को ही सत्र 2015-16 के लिए लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
19	भू-गर्भ विज्ञान	विद्या परिषद बैठक में विषय के संयोजक उपस्थित नही होने कारण सत्र 2014-15 में प्रभावी पाठ्यक्रम को ही सत्र 2015-16 के लिए लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
20.	जैव तकनीकी	विद्या परिषद बैठक में विषय के संयोजक उपस्थित नही होने कारण सत्र 2014-15 में प्रभावी पाठ्यक्रम को ही सत्र 2015-16 के लिए लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
21.	पर्यावरण विज्ञान	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
22.	शिक्षा	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दु जिसमें एनसीईटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सत्र-2015-16 से लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अध्ययन मंडल की पुनः बैठक आहूत करने एवं तद्नुसार पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतू कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
23.	सूक्ष्म जीव विज्ञान	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
24.	राजस्थानी	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
25.	शारीरिक शिक्षा	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही विवरण में उल्लेखित बिन्दु जिसमें एनसीईटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सत्र-2015-16 से लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अध्ययन मंडल की पुनः बैठक आहूत करने एवं तद्नुसार पाठ्यक्रम तैयार करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतू कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
26.	वनस्पतिशास्त्र	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
27.	ई.ए.एफ.एम.	अध्ययन मंडल द्वारा स्नातक बी.कॉम में Foreign Trade Management विषय को हटाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शेष पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
28.	ए.बी.एस.टी.	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

29.	व्यवसायिक प्रशासन	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम में संयोजक द्वारा बैठक का कार्यवाही विवरण पूर्ण रुप से प्रस्तुत नहीं करने के कारण सत्र 2014-15 में संचालित पाठ्यक्रम को ही सत्र 2015-16 हेतु अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
30.	रसायन शास्त्र	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
31.	सैन्य विज्ञान	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
32.	गणित	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
33.	भौतिक शास्त्र	विद्या परिषद बैठक में विषय के संयोजक उपस्थित नही होने कारण सत्र 2014-15 में प्रभावी पाठ्यक्रम को ही सत्र 2015-16 के लिए लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
34.	जे.जे.वी.वाई.	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
35.	प्राणीशास्त्र	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
36.	जी.पी.ई.एम.	अध्ययन मंडल द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/05

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी प्रवेश नीति-2015-16 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में सत्र 2015-16 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाले प्रवेश नीति 2015-16 को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा जिन कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय के स्वयं के नियम बने हुए है, उन कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के नियमों तथा अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रवेश नीति 2015-16 के अनुसार ही प्रवेश देने का निर्णय लिया गया। बैठक अवधि तक प्रवेश-नीति प्राप्त नही होने के कारण प्रवेश-नीति 2015-16 को अंगीकृत करने हेतु विद्या परिषद द्वारा कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/06

विश्वविद्यालय अधिष्ठाता बैठक दिनांक 05-12-2014 एवं समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 29-09-2014 के कार्यवाही विवरणों के अनुमोदन का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं बैठक दिनांक 05-12-2014 एवं समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 29-09-2014 को माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त दोनो बैठकों का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - अधिष्ठाता/समकक्षता समिति बैठक का कार्यवाही विवरण

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 05.12.2014 का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 29.09.2014 में लिये गए निर्णयों पर पुनः विचार करने हेतु वापस समकक्षता समिति को भेजने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/07

शैक्षणिक सत्र 2014-15 में विश्वविद्यालय द्वारा नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने एवं अस्थाई सम्बद्धता निरस्त किये जाने वाले महाविद्यालयों के अनुमोदन का प्रस्ताव :

शैक्षणिक सत्र 2014-15 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अस्थाई नवीन सम्बद्धता हेतु प्रत्येक महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई। सत्र 2014-15 में प्रदत्त अस्थाई नवीन सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय एवं अस्थाई सम्बद्धता समाप्त किये गए महाविद्यालयों की सूची विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है :-

New Affiliated College list 2014-15

S.No	College Name	Distric	Estt. year	Section	Subject
1	S.D. Co-edu. College, Tibbi	HNMH	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.)
2	Shri Ganesh Kanya Mahavidhyalya, Khuiya, Nohar, `	HNMH	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.)
3	Shree Kaniram Girls College, Rawatsar	HNMH	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.)
4	Bharti Nikaten College, Sri Dungargarh,	BKN	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.) B.Sc. (Zoology, Botany, Physics, Chemistry, Maths, Geology) B.Com. With C.A. (Voc.)
5	Manda College, Raisar	BKN	2014-15	UG	B.Sc. (Zoology, Botany, Physics, Chemistry, Math)
6	Sister Nivedita Girls College	BKN	2014-15	UG	B.A. With C.A. (Voc.) B.Com. With C.A. (Voc.)
7	Government Girls College, Taranagar	Churu	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.)
8	Govt. College, Rajgarh,	Churu	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.)
9	Subhash Chandra Boss College, Sahwa Taranagar,	Churu	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.) B.Sc. (Zoology, Botany, Physics, Chemistry, Math)
10	Govt. College,Anupgarh.	SGNR	2014-15	UG	B.A. Without C.A. (Voc.)

साथ ही शैक्षणिक सत्र 2014-15 में निम्नलिखित अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की उनके अनुरोध एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्थाई सम्बद्धता समाप्त की गई :-

1. Amcap School of Management, Bikaner
2- Ganganagar T.T. College, Sriganganagar

निर्णय : उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल ने सुझाव दिया कि महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतू न्यूनतम अर्हता का निर्धारण किया जाये। व्यापक विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाताओं की बैठक आयोजित कर उपरोक्त योग्यता का निर्धारण किया जाये। विद्या परिषद द्वारा सत्र 2014-15 में दस (10) महाविद्यालयों को प्रदत्त अस्थायी नवीन सम्बद्धता एवं दो (02) महाविद्यालयों की अस्थायी सम्बद्धता की समाप्ति के निर्णय का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/08

विश्वविद्यालय परिसर में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक वर्षीय एल एल.एम. पाठ्यक्रम शुरू करने के सम्बन में प्रस्ताव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17-06-2014 को समकक्षता समिति एवं अधिष्ठाता समिति की बैठक दिनांक 16-12-2013 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के समय विश्वविद्यालय परिसर में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक वर्षीय एलएल.एम. पाठ्यक्रम खोलने के निम्नलिखित सदस्यों की समिति के गठन करने का निर्णय लिया गया था :-

(1) डॉ. विमलेन्दु तायल- अधिष्ठाता, विधि संकाय
(2) डॉ. अनिल कौशिक- समन्वयक विधि
(3) श्री के.के. कोचर- प्राचार्य, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय

समिति की बैठक दिनांक 29-09-2014 को आयोजित हुई। समिति से प्राप्त रिपोर्ट/अनुशंसा विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में पांच वर्षीय विधि पाठ्यक्रम एवं विश्वविद्यालय स्तर पर एक वर्षीय एल.एल.एम. पाठ्यक्रम खोलने के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा को स्वीकार करते हुए उपरोक्त पाठ्यक्रम नहीं खोलने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/09

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (Bechelor of Vocation) को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17-06-2014 के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/12 में लिये गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों **(Bechelor of Vocation)** को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

(1) प्रो. एम.एम. सक्सेना- अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
(2) डॉ. रविन्द्र मंगल - व्याख्याता, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर।
(3) डॉ. भुवनेश गुप्ता - प्राचार्य, सूरतगढ पी.जी. महाविद्यालय, सूरतगढ
(4) श्रीमती ज्योति लखाणी - विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, मगंसिं विश्वविद्यालय, बीकानेर

समिति की बैठक दिनांक 26-11-2014 को आयोजित हुई। समिति से प्राप्त रिपोर्ट/अनुशंसा विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में यू.जी.सी. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (Bachelor if Vocation) को प्रारम्भ करने के संबंध में पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओ का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतू गठित समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा पर व्यापक विचार विमर्श उपरांत उपरोक्त पाठ्यक्रमों को सत्र 2016-17 से लागू करने का निर्णय लिया गया। साथ ही उपरोक्त पाठ्यक्रमों को लागू करने के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार की जाने वाली कार्य योजना के संदर्भ में पूर्व में गठित कमेटी में प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, डॉ एस.एन. शर्मा, डॉ गौतम मेघवंशी को भी सम्मिलित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/10

एम.एससी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु योग्यता के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17-06-2014 के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/02 (4) में लिये गए निर्णयानुसार एम.एसीसी. कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतु योग्यता के निर्धारण के सम्बन्ध अन्य विश्वविद्यालयों में संबंधित योग्यता का अध्ययन कर उक्त प्रकरण पर पुनः समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

(1) डॉ. रविन्द्र मंगल - संयोजक एवं समन्वयक, भौतिक विज्ञान
(2) श्रीमती ज्योति लखाणी - विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान, मगंसिं विश्वविद्यालय, बीकानेर
(3) डॉ. भुवनेश गुप्ता - प्राचार्य, सूरतगढ पी.जी. महाविद्यालय, सूरतगढ

समिति की बैठक दिनांक 19-11-2014 को आयोजित हुई। समिति से प्राप्त रिपोर्ट/अनुशंसा विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा एम.एस.सी कम्प्यूटर विज्ञान में प्रवेश हेतू योग्यता के निर्धारण के संबंध में अन्य विश्वविद्यालयों से संबंधित योग्यता का अध्ययन कर उक्त प्रकरण पर पुनः समीक्षा करने हेतु गठित समिति की रिपोर्ट/अनुशंसा में Fundamental Mathematics के अतिरिक्त पेपर के प्रस्ताव को को अस्वीकार करते हुए प्रकरण उपरोक्त कमेटी को पुनः विचार हेतु भेजने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/11

विज्ञान विषय के अतिरिक्त अन्य संकाय के प्रायोगिक विषयों में स्वयंपाठी छात्रों के रूप में परीक्षा की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 17-06-2014 के विनिर्णय संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद-13/2014/02 (3) में लिये गए निर्णयानुसार विज्ञान संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के प्रायोगिक विषयों में स्वयंपाठी छात्रों के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

(1) प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल -संयोजक, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग

(2) डॉ. आर.एन. कस्वां - सदस्य, व्याख्याता, राजकीय बी.आर.ए. महाविद्यालय, श्रीगंगानगर

समिति की बैठक दिनांक 20-11-2014 को आयोजित हुई। समिति से प्राप्त रिपोर्ट/अनुशंसा विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा विज्ञान संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों जिनमें प्रायोगिक विषयों में स्वयंपाठी छात्रों के रुप में परीक्षा में प्रविष्ठ होने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट/अनुशंसा के अनुसार अन्य संकाय यथा कला आदि के प्रायोगिक विषयों में स्वयंपाठी छात्रों को परीक्षा में बैठने की पूर्ववत व्यवस्था जारी रखने के निर्णय को विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/12

सत्र 2015-16 से शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम यथा एम. एड./बी.एड./बी.पी.एड. के दो वर्षीय पाठ्यक्रम को अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में वर्तमान में शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के अन्तर्गम एम.एड./बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम एक वर्ष की अवधि हेतु संचालित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 01-12-2014 के क्रम '' शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों यथा एम.एड./बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रमों को दो वर्षीय पाठ्यक्रम किये जाने की सूचना प्रसारित की है। इसी क्रम में संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राज. सरकार से प्राप्त पत्र प.10(40) शिक्षा-1/04/2008 पार्ट दिनांक 27-01-2015 एवं संशोधन आदेश दिनांक 27-02-2015 के द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर '' शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों यथा एम.एड./बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रमों की अवधि एक वर्ष के स्थान दो वर्षीय लागू किये जाने के आदेश प्रदान किये है। साथ ही इनके कार्यदिवस 200 दिवस ही यथावत रहेगे तथा इन बी.एड. पाठ्यक्रम की प्रत्येक यूनिट 100 के स्थान 50 संशोधित की गई है।

अत: उपरोक्तानुसार इस विश्वविद्यालय के अधीन संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संचालित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों यथा एम.एड./ बी.एड./बी.पी.एड. के संशोधित कार्यक्रमों को सत्र 2015-16 से अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 01.12.2014 के क्रम में ''शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों यथा एम.एड./बी. एड./बी.पी.एड पाठ्यक्रमों को दो वर्षीय पाठ्यक्रम किये जाने की सूचना को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय के अधीन संचालित शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संचालित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों यथा एम.एड/बी.एड. /बी.पी.एड. के संशोधित कार्यक्रमों को सत्र 2015-16 से स्वीकार करने का विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/13

Knowledge Traditions and Practices of India पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक CBSE/Acad./DIR/(Art & I) KTPL/ 2014/4498-4852 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार केन्द्रीय बोर्ड द्वारा कक्षा XI and XII में संचालित **''Knowledge Traditions and Practices of India"** पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर नियमित पाठ्यक्रम के रूप में प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात् इस संदर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के संदर्भ में एक समिति का गठन करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है जिसके निम्नलिखित सदस्य है :-

1. अधिष्ठाता कला संकाय
2. अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान संकाय
3. अधिष्ठाता शिक्षा संकाय

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/14

विश्वविद्यालय विभागों में सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत अध्यनरत छात्रों की शिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विश्वविद्यालय में संचालित विभागों यथा इतिहास, अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव एवं कम्प्यूटर विज्ञान में अध्यनरत छात्रों के लिए सत्र 2014-15 से सेमेस्टर प्रणाली लागू हो चुकी है। वर्तमान समय में विभागों में अध्यनरत छात्रों से निम्नानुसासर वार्षिक पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है :-

S.No.	Fee Description	For Girls (all categories)	For SC/ST	For Others
1	Tuition Fees	-	-	2000/-
2	Students Fund	150/-	150/-	150/-
3	Sports Fees	100/-	100/-	100/-
4	Development Fees	1000/-	1000/-	1000/-
5	Library Fees	500/-	500/-	500/-
6	Student's Insurance	20/-	20/-	20/-
Additional for Science Faculty				
1	Laboratory Fees	1000/-	1000/-	1000/-
2	Laboratory Development Fees	500/-	500/-	500/-
1	Examination Fee	M.A./M.Sc. (Previous) - 600/- M.A./M.Sc. (Final) - 700/-		

चूंकि सत्र 20114-15 से विश्वविद्यालय विभागों में सेमेस्टर प्रणली लागू हो चुकी है ऐसी स्थिति में विभागों में अध्यनरत छात्रों से सेमेस्टर अनुसार शिक्षण शुल्क /परीक्षा शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। अत: सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क का निर्धारण करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय विभागो में निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क को सेमेस्टर प्रणाली में निम्नानुसार शिक्षण/परीक्षा शुल्क का निर्धारण किया गया :-

S.No.	Fee Description	For Girls (all categories)	For SC/ST	For Others
1	Tuition Fees	-	-	1000/-
2	Students Fund	75/-	75/-	75/-
3	Sports Fees	50/-	50/-	50/-
4	Development Fees	500/-	500/-	500/-
5	Library Fees	250/-	250/-	250/-
6	Student's Insurance	10/-	10/-	10/-
Additional for Science Faculty				
1	Laboratory Fees	500/-	500/-	500/-
2	Laboratory Development Fees	250/-	250/-	250/-
1	Examination Fee	M.A. (English/History) I & II Semister - 300/- M.A. (English/History) III & IV Semister - 350/- M.Sc.(Environmental Science, Mirobiology & Computer Science) I & II Semister – 500/- M.Sc.(Environmental Science, Mirobiology & Computer Science) III & IV Semister – 550/-		

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/15

विश्वविद्यालय स्तर पर Credit Framework for Skills and Choice Based Credit System कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मंत्री, मानव संधाधन विकास, भारत सरकार, नई दिल्ली के अ.शा. पत्र क्रमांक एफ.36-13/2014/टी.एस./II(एनवी) दिनांक 15-01-'2015 (संलग्न) बाबत Implementing Credit Framework for Skills and Choice Based Credit System in Universities and Colleges के सम्बन्ध में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर सें प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.1(2)आरबी/2014/544 दिनांक 22-01-2015 (संलग्न) उक्त विषय में आवश्यक कार्यवाही करवाई जाकर की गई कार्यवाही की सूचना शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर उक्त प्रणाली के सम्बन्ध सुझाव प्राप्त करने हेतु दिनांक 02-02-2015 को समस्त विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में प्रो. एस.के. अग्रवाल के संयोजक में निम्नलिखित सदस्यों की समिति गठित की गई :-

1. प्रो. एम.एम. सक्सेना - सदस्य, विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान
2. डॉ. नारायण सिंह राव - सदस्य, विभागाध्यक्ष, इतिहास
3. डॉ. धर्मेश हरवानी - सदस्य
4. डॉ. बिट्टल बिस्सा - सदस्य सचिव
5. डॉ. गिरिराज हर्ष - सदस्य

समिति की बैठक दिनांक 06-02-2015 को आयोजित हुई। आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न - रिपोर्ट

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव पर व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् इस संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर उक्त प्रणाली के संबंध में सुझाव प्राप्त करने हेतु गठित बैठक की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करते हुए तद्नुसार विश्वविद्यालय में कार्यवाही संपादित करने का निर्णय लिया गया। सदस्य सचिव श्री विश्राम मीणा ने सदन को अवगत कराया कि इस संदर्भ में दिनांक 05.05.2015 व 06.05.2015 को महामहिम राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत समस्त राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक प्रस्तावित है, उक्त बैठक में इस विषय पर क्या निर्णय लिया जाता है उसी अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर इस प्रणाली को लागू किया जाना उचित रहेगा साथ ही विद्या परिषद द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस संदर्भ मे समस्त अधिष्ठाताओं की बैठक कुलपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित कर इस संबंध में कार्ययोजना बनायी जाये।

एजेण्डा बिन्दू संख्या मगंसिविबी/विद्या परिषद् 14/2015/16

नवीन कोर्स बी.एड. (एस.ई.) एम.आर. की नवीन सम्बद्धता हेतु प्रस्ताव

सचिव, तपोवन मनोविकास विद्यालय श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक टीएमवी/14-15/56 दिनांक 23.12.2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा निवेदन किया है की उनकी संस्था मानसिक विमंदित बच्चों के शिक्षण व पुनर्वास के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) है। संस्था द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिये भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के माध्यम से विभिन्न कोर्सेज के द्वारा इस श्रेणी के अध्यापक तैयार किये जाते है। बीकानेर संभाग में इस तरह की शिक्षा एवं कोर्सेज के अभाव में नि:शक्त बच्चो के पढ़ाने एवं सिखाने वाले अध्यापको की कमी है। अत: संस्था शिक्षको के उच्च अध्ययन हेतु बी.एड़ (एस.ई) एम.आर. कोर्स प्रारम्भ करना चाहती है। साथ ही तपोवन कॉलेज ऑफ स्पेशल एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च, श्रीगंगानगर के नाम से नवीन महाविद्यालय की स्थापना करना चाहती है। महाविद्यालय ने इस हेतु शुल्क राशि रूपये 75,000/- (बी.एड़ पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क) एवं निरीक्षण शुल्क, विश्वविद्यालय कोष में दिनांक 24.12.2014 को जमा करवा दिया गया है। संस्था द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 16 (1) () नि.वि.यो./एन.ओ.सी./2014/3546 दिनांक 18.06.2014 की प्रति भी विश्वविद्यालय में प्रेषित की है। संस्था द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद् को अन्तिम निरीक्षण रिपोर्ट के लिये आवेदन पत्र प्रेषित किया हुआ है। स्वीकृति अपेक्षित है। अत: महाविद्यालय को बी.एड़ एसईएमआर कोर्स दो वर्षीय पाठ्यक्रम की नवीन सम्बद्धता के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श के पश्चात् विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय स्तर पर नवीन कोर्स बी.एड (एस.ई) एम.आर. को लागू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही उक्त महाविद्यालय की छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए सम्बद्धता शुल्क राशि अन्य बी.एड. महाविद्यालयों की सम्बद्धता शुल्क राशि के अनुपात में आधी रखने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/17

विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2012 एवं 2013 में आयोजित परीक्षाओं के अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों एवं जनवरी, 2012 से दिसम्बर 2013 तक शोध कार्य पूर्ण कर चुके शोधार्थियों को तद्नुसार उपाधि धारण करने की स्वीकृति प्रदान (ग्रेस पास) करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा वर्ष 2004 से 2008 तक के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों एवं शोधार्थियों को दिनांक 18-11-2011 को प्रथम दीक्षान्त समारोह आयोजित कर 154,405 उपाधियों का वितरण किया जा चुका है वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 की 1,49,538 उपाधियां जांच उपरान्त वितरण हेतु पूर्ण रूप से तैयार है। राज्यपाल सचिवालय द्वारा वर्ष 2013 तक की उपाधियों को माह सितम्बर, 2015 तक वितरण करने के निर्देश प्रदान किये गए है। अत: परीक्षा वर्ष 2012 एवं 2013 के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण रहे 1,30,500

विद्यार्थियों एवं 01 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक की अवधि में शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 245 शोधार्थियों को पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की जानी है।

वर्ष 2004 से 2011 तक मुद्रित करवाई गई उपाधि के प्रारूप (जो विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित है) के अनुसार ही परीक्षा वर्ष 2012 की 61000 एवं 2013 की 69500 कुल 1,30,500 उपाधियां मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2014 की अवधि में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से शोधोपाधि हेतु शोधार्थियों को प्रदान किए गए 245 अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) धारियों को उनसे सम्बन्धित संकाय और शीर्षक सहित उपाधि मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित है।

अत: विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2012 एवं 2013 में आयोजित परीक्षाओं में अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण रहे 1,30,500 विद्यार्थियों को तद्नुसार उपाधि धारण करने एवं जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2014 की अवधि में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से शोधोपाधि हेतु शोधार्थियों को प्रदान किए गए 245 अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) धारियों को उनसे सम्बन्धित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान (ग्रेस पास) करने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>स्पष्टीकरण</u> : माननीय अध्यक्ष महोदया ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा 2009, 2010 एवं 2011 की उपाधियों पूर्व में मुद्रित करवाई जा चुकी है जिनका वितरण किया जाना है। परन्तु माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार परीक्षा वर्ष 2014 तक की उपाधियों को वितरण किया जाना है। माननीय कुलपति महोदया ने सदन को अवगत कराया कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जनवरी, 2016 में दीक्षान्त समारोह आयोजित करवाकर वर्ष 2014 तक की उपाधियों को वितरण करने के निदेश प्रदान किये है। अत: समय सीमा निर्धारित होने के कारण वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 की मुद्रित उपाधियों का प्रारूप जो विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित है के प्रारूप के अनुसार ही वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 की उपाधियों का मुद्रण किया जाना प्रस्तावित है। विद्या परिषद के समक्ष पूर्व में अनुमोदित उपाधियों के प्रारूप प्रस्तुत किये गये। प्रो. एस.के. अग्रवाल ने समिति गठन कर उपाधियों के प्रारूपों की विशेषज्ञों के माध्यम से समीक्षा करवाये जाने का सुझाव दिया। माननीय कुलपति महोदया ने सदन को अवगत कराया की उपाधि वितरण की समय-सीमा निर्धारित होने के कारण पूर्व में विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित उपाधियों के प्रारूपों के अनुसार ही वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 की उपाधियां मुद्रित करवाई जानी चाहिए।

<u>निर्णय</u> : विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायो के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 में आयोजित परीक्षाओं में अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण रहे 2,10,815 (दो लाख दस हजार आठ सौ पन्द्रह) विद्यार्थियों को तद्नुसार उपाधि धारण करने एवं जनवरी 2012 से दिसम्बर 2014 की अवधि में माननीय कुलपति महोदया की स्वीकृति से शोधोपाधि हेतु शोधार्थियों को प्रदान किए गए 245 अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) धारियों को उनसे सम्बन्धित संकाय और शीर्षक के अनुसार उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान (ग्रेस पास) करने का निर्णय लिया गया। सदस्य सचिव श्री विश्राम मीणा ने सदन को अवगत कराया कि परीक्षा वर्ष 2014 के अंतिम वर्षो में उत्तीर्ण 2492 छात्रों द्वारा अंक सुधार हेतु परीक्षा वर्ष 2015 में सम्मिलित हो रहे है, इसलिए वर्ष 2014 की संख्या में मामूली अन्तर आ सकता है जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को प्रेषित कर दी जावेगी। साथ ही परीक्षा 2012, 2013 एवं 2014 के अंतिम वर्षो में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/18

मेरिट लिस्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

वर्ष 2012 एवं 2013 की विभिन्न कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को भविष्य में प्रस्तावित दीक्षांत समारोह मे स्वर्ण पदक प्रदान किया जाना है।

दिनांक 17.6.2014 को आयोजित विद्या परिषद की 13 वीं बैठक के विनिर्णय संख्या 06 के द्वारा मेरिट लिस्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में गठित समिति की अनुशंषा कर विद्या परिषद द्वारा विचार विमर्श उपरान्त महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के प्रावधानों के अनुसार मेरिट लिस्ट निर्धारित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के पत्र दिनांक 19.9.14 के साथ संलग्न नोटिफिकेशन क्रमांक 19328-627 दिनांक 11.5.11 (प्रति संलग्न) के द्वारा जारी Rules for preparation of merit list and award of merit certificate के बिन्दू संख्या 7 में अंकितानुसार The marks secured on account of revaluation shall not be counted for merit , only original marks shall be counted.

माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सं 3 बीकानेर ने यह तय कर दिया है कि पूनर्मूल्यांकन के अंक मेरिट लिस्ट जारी करते समय शामिल किए जाए (प्रति संलग्न)

मेरिट लिस्ट की पत्रावली पर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा आज्ञा दिनांक 10.12.13 की पालना में वर्ष 2009, 2010 एवं 2011 में पूनर्मूल्यांकन के अंक शामिल करते हुए वरीयता सूची तैयार की गई। इसी आधार पर 2013 की वरीयता सूची माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त आज्ञा दिनांक 23.6.14 की पालना में जारी की गई एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर छात्र/छात्राओं को लैपटाप का वितरण किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश 157 (प्रति संलग्न) । (II) के अनुसार The increase in marks obtained by a candidate as a result of revaluation shall be taken into account for preparing the merit list of first 10 candidates standing in order of merit at an examination.

वर्ष 2012 एवं 2013 के छात्र/छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान करने के वरीयता सूचि के निर्धारण में पूनर्मूल्यांकन से बढे हुए अंको को जोडने हेतु प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ एवे निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श उपरांत विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय एवं न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) सं 3 बीकानेर द्वारा दिए गए निर्णयानुसार पूनर्मूल्यांकन के अंक मेरिट लिस्ट जारी करते समय शामिल किए जाए ।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/19

जमुवाय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर की सम्बद्धता निरस्त करने सम्बन्धी आदेश के अनुमोदन का प्रस्ताव

निदेशालय कॉलेज शिक्षा. राज. जयपुर के सचिव जगदम्बा विकास एवं शैक्षणिक संस्थान खाजूवाला, बीकानेर को संबोधित पत्र क्रमांक एफ020(101)/401/आयो/ निकाशि/2010/पार्ट -५/409 दिनांक 6.8.12 के

द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदया की घोषणा वर्ष 2010-11 की अनुपालना में निजी सहभागिता से महाविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी (प्रति संलग्न)

महाविद्यालय संस्था ने अपने पत्र क्रमांक 13 दिनांक 31.12.13 के द्वारा सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 685-960 दिनांक 21.6.14 के द्वारा निरीक्षण दल की नियुक्ति की गयी एवं निरीक्षण दल से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 12583-596 दिनांक 24.9.2014 के द्वारा महाविद्यालय को सत्र 2015-16 से स्नातक कला प्रथम वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गयी। सम्बद्धता जारी करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में आयुक्त कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर का पत्र दिनांक 15.12.14 प्राप्त हुआ। जिसमें उल्लेख था कि शैक्षणिक संस्थान खाजूवाला को वर्ष 2010-11 में पी.पी.पी. योजनान्तर्गत महाविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक आदेश पारित किया गया है जिसके संदर्भ में दिनांक 28.3.13 को सम्बन्धित संस्था को सत्र 2013-14 में निजी सहभागिता योजनान्तर्गत महाविद्यालय संचालन हेतु नवीन विज्ञप्ति जारी की जायेगी, तब पुनः आवेदन करने हेतु लिखा गया था। इसके साथ ही महाविद्यालय द्वारा जमा करायी गयी सम्बद्धता शुल्क के पुनर्भुगतान अथवा आगामी सत्र में समायोजन की कार्यवाही करने हेतु शुल्क आदि का विवरण मांगा गया गया। उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में महाविद्यालय को राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति/नवीन अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 16893 दिनांक 18.12.14 के द्वारा नोटिस जारी किया गया। महाविद्यालय द्वारा उक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहने पर विश्वविद्यालय पत्र क्रमांक 1876 दिनांक 6.2.2015 के द्वारा महाविद्यालय को प्रदत्त नवीन सम्बद्धता निरस्त की गयी।

सम्बद्धता निरस्त करने हेतु जारी आदेश विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय द्वारा जमुवाय महाविद्यालय छतरगढ़ की सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/20

Post Graduate Course in Museology and Archaeology Conservation प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

विशिष्ट सचिव पर्यटन कला एवं साहित्य विभाग राज. जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 28159 दिनांक 29.9.14 (प्रति संलग्न) के द्वारा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर Museology and Archaeology Conservation पाठ्यक्रम प्रांरम्भ करने हेतु निर्देशित किया उक्त पत्र की अनुपालना में विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 3402-404 दिनांक 24.2.2015 के द्वारा उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया:-

प्रो. देव कोठारी, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, बीकानेर एवं पूर्व निदेशक, पुरातत्व	डॉ0 जीवन खरकवाल, निदेशक, पुरातत्व संस्थान, उदयपुर	प्रो. एस.के. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी एवं अधिष्ठाता कला, एम.जी.एस.यू. बीकानेर।

संस्थान, उदयपुर		

कमेटी की बैठक दिनांक 15.4.15 का कार्यवृत विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर Museology and Archaeology Conservation पाठ्यक्रम सत्र 2016-17 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा बिन्दु सं. : मगंसिविबी/विद्या परिषद-14/2015/21

विश्वविद्यालय में संचालित विभागों में सेमेस्टर प्रणाली के प्रथम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु अंको के निर्धारण हेतु प्रस्ताव

परीक्षा नियन्त्रक, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के पत्रांक 52 दिनांक 28.02.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार विश्वविद्यालय में संचालित सभी विभागों के प्रथम सैमेस्टर (2014-2015) का परीक्षा परिणाम प्रक्रियाधीन है। परीक्षा नियन्त्रक महोदय ने परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निवेदन किया है:-

1- If the candidate has to pass in external (75 Maximum Marks each paper) and internal (25 maximum marks each paper) examination sepertaly or in agregate.

2. If the Marks of external & internal examinations are to be displayed seprately in the marksheet

प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि बाह्य एवं आतंरिक मूल्याकंन के अंक पृथक से प्रदर्शित किये जावे तथा परीक्षार्थी का दोनो परीक्षाओं में स्वतंत्र रूप से 36 प्रतिशत अंक लाकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। विद्या परिषद में सेमेस्टर परीक्षा सम्बन्धी विस्तृत नियम बनाने हेतु आवश्यक समिति के गठन हेतु कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।

अन्य बिन्दु : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से

1. Philosophy/Geography प्रतिबद्वित विषयों में विद्या परिषद द्वारा विद्यार्थी हित में छूट प्रदान करते हुए दोनो विषयों का चयन करने की सुविध प्रदान की गई।

2. सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा जो विद्या परिषद बैठक में संयोजक-शारीरिक शिक्षा के रूप में उपस्थित थे ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्वता प्राप्त महाविद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों से अन्तर महाविद्यालयीय एवं अन्तर विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए खेलकूद शुल्क के रूप मेंराशि 100/- महाविद्यालयों द्वारा वसूल की जाती है। उक्त वसूल राशि 100/- में से 70/- विश्वविद्यालय में जमा कराने होते है तथा शेष राशि 30/- महाविद्यालयों के पास रहती है। गत सत्रों में

कुछ महाविद्यालयों द्वारा समय पर खेलकूद राशि जमा नही कराई गई है तथा महाविद्यालयों को बार-बार पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया जा रहा है। इसके उपरान्त भी खेलकूद शुल्क विश्वविद्यालय में जमा नही हो रहा है। अत: सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों से खेलकूद शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि 100/- में से विश्वविद्यालय अंशदान राशि 70/- रूपये परीक्षा आवेदन पत्र भरवाते समय परीक्षा शुल्क के साथ ली जानी उचित प्रतीत होती है। महाविद्यालय अंशदान राशि 30/- छात्रों से प्रवेश के समय ले सकता है।

उक्त सुझाव से विद्या परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

3. शोध ग्रंथ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि में शिथिलन का प्रस्ताव विद्या परिषद की 13 वीं बैठक दिनांक 17-06-2014 को प्रस्तुत किया गया था। विद्या शोधार्थियों को 5+1 (06) वर्ष की पंजीयन अवधि पूर्ण होने पर पुन: पंजीयन करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्यादेश O-130 के अनुसरण में शोध नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा करते हुए प्रबन्ध मण्डल में भेजने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था। माननीय सदस्य डॉ. दिग्विजय सिंह ने सदन को अवगत कराया कि कुछ शोधार्थी जिन्हे पूर्व में शोध निदेशक आवंटित किये गए थे, उनकी मृत्यु हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से शोधग्रंथ प्रस्तुत नही हो सका। विश्वविद्यालय में ऐसे लगभग 6-7 प्रकरण लम्बित है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने कुलपति महोदया से सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेकर निर्धारित अवधि 5+1 (06 वर्ष) की पंजीयन अवधि पूर्ण होने पर शिथिलन देकर पुन: पंजीयन करने का अनुरोध किया। बैठक में उपस्थित प्रो. एम.एम. सक्सेना जो विश्वविद्यालय में निदेशक-शोध का भी कार्य देख रहे है ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय नियमों में इस प्रकार की छूट का कोई प्रावधान नही है।

उक्त सुझाव पर माननीय कुलपति महोदया ने विचार-विमर्श उपरान्त उचित निर्णय लेने का सदन को भरोसा दिलाया।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(विश्राम मीणा)
कुलसचिव